

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय

केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 क्र. 25 अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय
कोनी, बिलासपुर-495009 (छ.ग.)

दूरभाष : 07752-260209, फैक्स : 07752-260154
ई-मेल : ggvr.registrar@gmail.com, वेबसाइट : www.ggu.ac.in



Guru Ghasidas Vishwavidyalaya

(A Central University Established under the Central Universities Act, 2009 No.25 of 2009)
Koni, Bilaspur-495009 (C.G.)

Phone : 07752-260209, Fax : 07752-260154
E-Mail : ggvr.registrar@gmail.com, Website : www.ggu.ac.in

क्र. 138 /बै.प्र./विद्यापरिषद्/2013

बिलासपुर दिनांक : 25/03/2013

॥ अधिसूचना ॥

इस कार्यालय की अधिसूचना क्र. 86/बै.प्र./2012 बिलासपुर दिनांक 15.09.2012 एवं अधिसूचना क्र. 112/बै.प्र./विद्यापरिषद्/2012 दिनांक 27.12.2012 के अनुक्रम में केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के परिनिचयम 13(1)(iv) (संशोधित) के प्रावधानानुसार विद्यापरिषद् में निम्नानुसार सदस्यों का नामांकन किया जाता है : -

1 13(1)(iv) शिक्षण विभाग /केन्द्र के विभागाध्यक्ष

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 1) हिन्दी विभाग | डॉ. देव प्रकाश मिश्रा, आचार्य |
| 2) प्राणीशास्त्र विभाग | डॉ. एम. सबेसन, आचार्य |

उपरोक्त सदस्यों का कार्यकाल विद्यापरिषद् के कार्यकाल के साथ अथवा पदेन पद के कार्यकाल, जो भी पहले हो, के साथ समाप्त होगा।

आदेशानुसार


कुलसचिव (कार्यवाहक)

पृ.क्र. 139 /बै.प्र./विद्यापरिषद्/2013

बिलासपुर दिनांक : 25/03/2013

प्रतिलिपि -

1. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
2. कुलपति महोदय के सचिव को कुलपति जी के सूचनार्थ।
3. विद्यापरिषद् के समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ।

सहा.  कुलसचिव (बै.प्र.)